न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2019/ 1729 दिनांक –24/07/19

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 गुलाब खां 2 इमाम खां 3 मिसरू खां पिसरान जलाल खां 4 माडू पत्नी जलाल खां जाति तेली निवासी रोहिली, कपूरडी तहसील व जिला बाडमेर।		1 मोहम्मद 2 इसाक पिसरान कमाल 3 मांगू 4 अकबर 5 सकूर पिसरान इब्राहीम 6 हवा पत्नी इब्राहीम जाति तेली 7 करनाराम पुत्र जवाराम जाति प्रजापत 8 इसराराम पुत्र हुकमाराम जाति जाट 9 डलाराम पुत्र भारमल 10 सवाईराम पुत्र पुरखाराम 11 खेराजराम पुत्र पूनमाराम 12 रामाराम पुत्र ठाकराराम जाति प्रजापत 13 हनीफ खां पुत्र कमाल खां जाति तेली मुसलमान निवासी रोहिली, कपूरडी तहसील व जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :– 91/2018 दिनांक– 18/07/18

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा रोहिली पटवार क्षेत्र कपूरडी तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 937/21 रकबा 09.00 बीघा व खसरा संख्या 939/21 रकबा 69.19.10 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम़ स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्त्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :– रीडर/2019/ 1730-33 दिनांक– 24/07/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कपूरडी तहसील बाडमेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. गुलाब खां पुत्र जलाल खां वगैराह जाति तेली निवासी रोहिली, कपूरडी तहसील व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थी मोहम्मद पुत्र कमाल वगैराह जाति तेली निवासी रोहिली, कपूरडी तहसील व जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

Scanned by CamScanner